मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-11(32)-97-1-10 भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 1998

प्रति,

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

विषय.— आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के प्रकरणों में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति.

प्रदेश में भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए लोकायुक्त संगठन तथा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यरत है. इन संस्थाओं द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अभियोजन के पूर्व राज्य शासन की स्वीकृति की आवश्यकता होती है. वर्तमान में इन दोनों संस्थाओं के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति देने की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है. लोकायुक्त संगठन के सभी प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति विधि विभाग द्वारा जारी की जाती है जबकि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी की जाती है. इसके फलस्वरूप ब्यूरो के अनेक प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने में विलंब होता है और सही प्रारूप में स्वीकृति जारी नहीं होने की संभावना बनी रहती है क्योंकि विभिन्न नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को इसकी कानूनी बारीकियों की जानकारी नहीं रहती.

2. उपरोक्त कारणों से शासन ने निर्णय लिया है कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो लोकायुक्त संगठन के प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 15-6-96-1-10, दिनांक 21-4-97 द्वारा निर्धारित की गई है और समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 10-7-97 द्वारा संशोधित की गई है. अर्थात् आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण समस्त मूल अभिलेख के साथ विधि विभाग को भेजे जायेंगे. विधि विभाग समस्त अभिलेख के साथ ये प्रकरण प्रशासकीय विभाग को अभिमत के लिए भेजेंगे. प्रशासकीय विभाग एक माह की समयावधि में अपना अभिमत विधि विभाग को उपलब्ध करायेगा और साथ ही समस्त अभिलेख विधि विभाग को वापस करेगा. प्रशासकीय विभाग के अभिमत पर विचार कर विधि विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति के विषय में निर्णय लिया जायेगा. यदि एक माह की अवधि में प्रशासकीय विभाग द्वारा अपना अभिमत उपलब्ध नहीं कराया जाता तो विधि विभाग बिना उनके अभिमत के अभियोजन स्वीकृति जारी कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./
(ए. व्ही. ग्वालियरकर)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ-11(32)-97-1-10 भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 1998

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. निज सचिव, समस्त मंत्रीगण, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, मध्यप्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ

हस्ता./
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.